संख्या- 47 / 2016 / 1679 / 38-4-16-15(बजट) / 2015

प्रेषक,

श्रीश चन्द्र वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊ:दिनांक: 28 नवम्बर,2016**

विषय:-लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2016-17 के लक्ष्यों के सापेक्ष अनुदान संख्या-13 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1374/सम्प्रेक्षा/लो0ग्रा0आ0यो0/2016-17 दिनांक-04 नवम्बर, 2016 एवं पत्र संख्या-जी.ओ-103/सम्प्रेक्षा/लो0ग्रा0आ0यो0/2016 दिनांक-15 नवम्बर, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष-2016-17 में योजनानतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 60571.500 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष-2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-13 में लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों हेतु निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु द्वितीय किश्त के रूप में वांछित धनराशि रू0 60571.500 लाख के सापेक्ष अनुदान संख्या-13 में **अवशेष धनराशि रू0-27569.1010 लाख** (रूपये दो अरब पचहत्तर करोड़ उनहत्तर लाख दस हजार एक सौ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय, निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 स्वयं अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत हैं।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 द्वारा आवश्यकतानुसार फेजिंग करते हुए किया जाएगा।

(3) स्वीकृत धनराशि योजना के शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05(बजट)/2012, दिनांक 20-02-2013 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी। साथ ही वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016 /बी-1-746/दस-2016-231/ 2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित शर्तों, निर्देशों तथा प्रतिबन्धों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा ।

(4) स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में नहीं रखी जायेगी तथा 03 माह के अन्दर निश्चित रूप से व्यय कर ली जायेगी ।

(5) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुदान संख्या-13 में स्वीकृत की जा रही धनराशि को योजनान्तर्गत बजट प्राविधान की सीमा में व्यय किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 के स्तर पर तैनात वित्त नियंत्रक एवं जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) उक्त धनराशि का व्यय तभी किया जायेगा जब योजनान्तर्गत ग्रामों के चयनित लाभार्थियों की सूची जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

(8) जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने के उपरान्त शासी निकाय के अनुमोदनोपरान्त लाभार्थी के बैंक खाते में धनराशि हस्तानान्तरित की जायेगी।

(9) स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात् ही किया जायेगा।

(10) समस्त व्यय प्रश्नगत योजना के शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा आहरित धनराशि का समय से उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा ।

(11) इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-800-अन्य व्यय-03-लोहिया ग्रामीण आवास योजना-24-वृहद निर्माण कार्य" नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक- 22 मार्च, 2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अर्न्तगत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(श्रीश चन्द्र वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-47/2016/1679(1)/38-4-2016, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश ।
4- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
6- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7- समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश ।
8- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
9- समस्त जनपद के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 व 2
12- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
13- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
14- वैभागिक आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,
(प्रभात कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।